विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-09/2022

श्री राजेन्द्र जैन, — आवेदक/अपीलार्थी
म.क्र. 07, पटेल मार्केट के सामने,
भानपुर चौराहा, विदिशा रोड,
भोपाल (म0प्र0)

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक शहर संभाग, (पूर्व) — अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भोपाल (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 28.09.2022 को पारित)

01. आवेदक श्री राजेन्द्र जैन, म.क्र. 07, पटेल मार्केट के सामने, भानपुर चौराहा, विदिशा रोड, भोपाल (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 30.03.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल/ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक बी.टी./54/2021 में आदेश दिनांक 28/02/2022 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 30.05.2022 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक 09/2022 पर दर्ज की गई है ।

02. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :**

1) उक्त विषय में निवेदन है कि मेरे घरेलू कनेक्शन के बिल में अनेक गड़बडियां हैं जो कि एनजीबी उपभोक्ता पासबुक में स्पष्ट दृष्टिगत है ।

व शासन के आदेशानुसार घरेलू कनेक्शन पर अगस्त 2020 तक की बकाया राशि आस्थगित की गई। जोन प्रबंधक का कहना है कि आपका घरेलू कनेक्शन एक किलो वॉट से अधिक है इसलिए

इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल सकता है । व मेरे बिल में 10 किलो वॉट दर्शाया जा रहा है ।

—— कथन — —

उक्त विषय में निवेदन है कि मैंने चक्की कनेक्शन (10 एच.पी. थ्री फैज) को घरेलू कनेक्शन (सिंगल फैज) में परिवर्तित करने हेतु 30.08.2012 से 2016 तक निरंतर निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक निरंतर अनेक आवेदन प्रस्तुत किए (संलग्न आवेदन पत्रों की प्रतियां)

<u>समस्या — बिंदु क्र. 01 भार कम (घरेलू कनेक्शन) करने</u>

दिनांक 29.05.2013 को प्रकरण आपके समक्ष फोरम में रखा ।

दिनांक 24.09.2013 फोरम ने निर्णय दिया कि नियमानुसार टेस्ट रिपोर्ट आवेदन आदि प्रस्तुत कर नया कनेक्शन प्राप्त कर सकता है । (संलग्नः फोरम का निर्णय की प्रति)

दिनांक 09.07.2013 को फोरम के समक्ष तत्कालीन प्रबंधक करोंद जोन पत्र का जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अपना सेन्सन (चक्की) समाप्त कर उसे आवश्यक अनुबंध संपादित कर घरेलू कनेक्शन में परिवर्तित करा सकते हैं ।

दिनांक 25.07.2013 प्रबंधक का उप महाप्रबंधक (पूर्व) को प्रेषित पत्र जिसमें उल्लेख है कि माननीय फोरम द्वारा उक्त चक्की से समाप्त कर अगस्त 12 से अगस्त 13 तक की विद्युत खपत को घरेलू टैरिफ पर बिल देने हेतु निर्देशित किया है एवं उपभोक्ता को कोर्ट में 03.08.2013 को रिवाईज बिल हेतु आदेशित किया है ।

अगस्त 12 से आज तक की बिलिंग शीट पत्र के साथ संलग्न है ।

(संलग्न : उक्त दोनों पत्र की प्रति व बिलिंग शीट)

माननीय फोरम के दिनांक 24.09.13 को पारित निर्णय के तुरंत बाद ही भाई राजेन्द्र जैन ने करोंद जोन जाकर चक्की कनेक्शन समाप्त कर घरेलू कनेक्शन (एक किलो वाट भार) करने हेतु एक आवेदन देकर तत्कालीन प्रबंधक करोंद जोन करण मुजाल्दा के समक्ष अनुबंध आदि की प्रक्रियां संपादित की ।

अनुबंध आदि की प्रक्रियां के पश्चात चक्की कनेक्शन (10 एच पी) समाप्त कर घरेलू कनेक्शन (1 किलो वाट) में परिवर्तित कर दिया । उसके बाद से 10 एच पी पर प्रति माह लगने वाला नियत प्रभार 900 रू. हटा दिया व बिल की गणना घरेलू दर व 01 (एक) किलो वाट भार के हिसाब से होने लगी । यदि भार 10 किलो वाट है तो भार वृद्धि कब की गई जानकारी दिलाएं व भार कम करने की प्रक्रियां बताते हुए भार वृद्धि के समय जमा राशि सुरक्षा निधि आदि ब्याज सहित वापिस कराएं ।

चक्की कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन में परिवर्तित करने की जानकारी जोन प्रबंधक द्वारा अपने पत्र के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी (अति. अधी. यंत्री श.स.पूर्व दिनांक 08.06.2016) व राजेन्द्र जैन को पत्र क्र. 177 दिनांक 18.12.2015 को दी गई जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्व चक्की कनेक्शन को आपके आवेदन पर माह दिसंबर 2013 से घरेलू श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया था ।

(संलग्न : जोन प्रबंधक/ए.ई. के पत्र की प्रति)

चक्की कनेक्शन समाप्त कर घरेलू कनेक्शन कर दिया 10 एच पी पर प्रति माह लगने वाला नियत प्रभार 900 रू. खत्म कर दिया बिल में दर्शाया जा रहा 10000 वाट वास्तव में 1000 वाट है जिसमें त्रुटिवश 1000 (एक हजार) में एक शून्य (जीरो) जुड़ने के कारण 10000 वाट लिखा गया ।

आपके समक्ष निम्नांकित प्रश्न है जिसका समाधान व न्यायोचित निर्णय की आपसे अपेक्षा करते हैं

01. मेरे कनेक्शन पर स्वीकृत भार एक किलोवाट है व बिलिंग एक किलोवाट की दर से हो रही है।
02. बिल में भार 10 किलोवाट दर्शाया जा रहा है ।
03. जोन प्रबंधक का कहना है कि भार एक किलोवाट से अधिक है इसका क्या मतलब है ?

    इस संबंध में जानकारी मांगने पर जोन प्रबंधक द्वारा कोई जानकारी आज तक न तो मुझे प्रदान की न ही फोरम के समक्ष रखी ।

    आपके समक्ष अनुरोध है कि कृपया कर स्पष्ट करायें कि वास्तव में कनेक्शन पर स्वीकृत भार कितना है ?

    घरेलू कनेक्शन में बकाया राशि स्थगित करने की योजना स्वीकृत भार के आधार पर है ।

    समस्या – बिंदू क्र. 02 बिल में गड़बड़ियां :–

तकनीकी खराबी के चलते काफी समय तक बिल प्रदान नहीं किए व मनमर्जी से उपभोक्ता पासबुक खपत दर्शायी जिसमें माहवार खपत में काफी अंतर है किसी माह खपत 299, 101, 136, 67,157,143 यूनिट तो किसी माह 1388 यू. व 1826 यू. आदि मनमाफिक खपत मीटर से रीडिंग न लेकर आफिस में बैठकर लिखी गई जिसमें में काफी असमानताएं हैं जो कि उपभोक्ता पासबुक में दर्शायी व स्पष्ट दृष्टव्य है ।

जोन प्रबंधक का पत्र क्र. 2106/16.10.2020 व एनजीबी एडजस्टमेन्ट में बताया गया कि अगस्त 2019 तक कुल खपत 9120 यू. व नेट बिल राशि 9105 रू. है जिसमें 5000 रू. जमा करने के पश्चात शेष राशि 4105 रू. बचना चाहिए ।

एनजीबी सूची अनुसार अगस्त 2019 तक कुल खपत 9120 युनिट है जिसमें माह अगस्त 19 का बिल निम्नांकित है ।

बिल्ड यूनिट	करेंट बिल	एरियर	सरचार्ज	नेट बिल	(सूची में नेट बिल)	जमा राशि	शेष राशि
157	1136.75	5418	83	6637.75	9105	5000	1637.75

1. सूची में अंकित नेट बिल राशि 9105 में से 5000 घटाने पर शेष 4105 रू. हुआ जो अगले माह का एरियर होगा । अगले माह सितंबर का करेंट बिल 672.55 व सरचार्ज शून्य है नेट बिल 4105 + 672.55 = 4777.55 हुआ ।
2. जबकि सूची में अगले माह सितंबर में एरियर 2986 है जो कि 1637.75 होना चाहिए व करेंट बिल 672.55 + 2986 = 3658.55 रू. नेट बिल राशि हुई जो कि सूची में 6120 रू. है ।
3. दोनों ही राशियां गलत क्योंकि सितंबर माह का एरियर 1637.75 + 672.55 करेंट बिल = 2310.30 रू. होगा जो सूची में 6120 रू. है । 6120 – 2310.30 = 3809.70 रू. की ज्यादा की गलत बिलिंग की इस प्रकार माह अगस्त 19 का नेट बिल 6637. 75 रू. व सितम्बर 19 का नेट बिल 2310 रू. है दो माह में 3810 रू. ज्यादा की गलत बिलिंग की गई इसी प्रकार अन्य बिलों में भी काफी विसंगतियां है ।

   एनजीबी सूची अनुसार जून 19 से मई 20 तक कुल खपत 2904 यू. मासिक औसत 242 यूं. है । इस प्रकार माह वार खपत में काफी असमानताएं व बिलिंग में कई गड़बड़ियां हैं ।

अतः जून 19 से मई 21 तक 24 माह की कुल खपत 7450 यूनिट को 24 माह में बराबर विभाजित कर निर्धारित दर अनुसार गणना कर अगस्त 2020 तक की राशि स्थगित रखते हुए सितंबर 2020 से संशोधित बिल प्रदान करायें ।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–09/2022 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 06.06.2022 नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 06.06.2022 को उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । उभयपक्षों की ओर से दूरभाष पर निवेदन किया गया कि अनावेदक कम्पनी के अधिकृत अधिकारी का स्थानांतरण होने के कारण तथा नए अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के कारण आज सुनवाई दिनांक को उपस्थित होने में असमर्थ हैं, अतः उक्त सुनवाई दिनांक को कुछ दिन बाद नियत किया जाए । उभयपक्षों की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 10.06.2022 नियत की जाती है ।

❖ सुनवाई दिनांक 10.06.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री महेश कोली, सहायक यंत्री उपस्थित ।

सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में कुछ अतिरिक्त लिखित कथन प्रस्तुत किए गए, जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

अनावेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में मौखिक जानकारी दी गई, साथ ही उक्त प्रकरण से संबंधित लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई ।

अनावेदक की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 20.07.2022 नियत की जाती है ।

❖ सुनवाई दिनांक 20.07.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री महेश कोली, सहायक यंत्री उपस्थित ।

सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में कुछ अतिरिक्त लिखित कथन तथा प्रकरण से संबंधित कुछ मौखिक जानकारी प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

अनावेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई तथा लिखित प्रतिवेदन रिकार्ड में लिया गया ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश कोली, सहायक यंत्री को निर्देशित किया गया कि वे निम्न जानकारी प्रस्तुत करें :–

01. वर्ष 2012 से आज दिनांक तक का बिलिंग स्टेटमेंट ।
02. कनेक्शन का प्रयोजन एवं भार परिवर्तित करने हेतु प्राप्त आवेदन ।
03. प्रयोजन एवं भार परिवर्तित करने हेतु प्राप्त की गई टेस्ट रिपोर्ट ।
04. 1 KW भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं हेतु शासन द्वारा प्रदत्त छूट के आदेश की प्रति एवं कंपनी द्वारा जारी प्रपत्र ।

अनावेदक द्वारा उक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 01.08.2022 नियत की जाती है ।

❖ सुनवाई दिनांक 01.08.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री महेश कोली, सहायक यंत्री उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश कोली, सहायक यंत्री द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई तथा लिखित प्रतिवेदन रिकार्ड में लिया गया ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश कोली, सहायक यंत्री ने अवगत कराया कि कुछ जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, अतः उक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए । अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 17.08.2022 नियत की जाती है ।

❖ सुनवाई दिनांक 17.08.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री महेश कोली, सहायक यंत्री उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश कोली, सहायक यंत्री द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई तथा लिखित प्रतिवेदन रिकार्ड में लिया गया ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश कोली, सहायक यंत्री ने अवगत कराया कि कुछ जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, अतः उक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए । अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 02.09.2022 नियत की जाती है ।

❖ सुनवाई दिनांक 02.09.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री महेश कोली, सहायक यंत्री उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश कोली, सहायक यंत्री द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई तथा लिखित प्रतिवेदन रिकार्ड में लिया गया ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश कोली, सहायक यंत्री द्वारा बताया गया कि पूर्व सुनवाई में निर्देशित कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है ।

सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित कुछ जानकारी से वह संतुष्ट नहीं है, अतः श्री महेश कोली, सहायक यंत्री को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को कार्यालय में बुलाकर संबंधित जानकारी जिससे वह संतुष्ट नहीं है, स्पष्ट करें । श्री महेश कोली, सहायक यंत्री द्वारा इस पर सहमति जताते हुए आज ही आवेदक के साथ एक मीटिंग फिक्स करने के संबंध में जानकारी दी ।

उभयपक्षों की आपसी सहमति से उक्त प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 13.09.2022 नियत की जाती है ।

❖ सुनवाई दिनांक 13.09.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री महेश कोली, सहायक यंत्री उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश कोली, सहायक यंत्री द्वारा प्रकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी के साथ अन्तिम लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई तथा लिखित प्रतिवेदन रिकार्ड में लिया गया । अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश कोली, सहायक यंत्री द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि आवेदक श्री राजेन्द्र जैंन द्वारा विधुत कनेक्शन लिये जाने का प्रयोजन,म.प्र.शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट एवं विधुत भार परिवर्तन, बिल की प्रति प्रदान करने के संबंध में जानकारी बिन्दुबार चाही गई है।

1. आवेदक द्वारा सर्विस कनेक्शन क्रमांक 2444000418 के वर्ष 2012 से आज दिनॉक तक के बिलिंग स्टेटमेंट चाहा गया है।

अनावेदक के द्वारा जॉच करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता का सर्विस क्रमांक 2444000418 है उपभोक्ता का विधुत कनेक्शन थ्री फेस 10 किलोवाट का घरेलू संयोजन है उपभोक्ता द्वारा वर्ष 2012 से बिल चाहे गये है **चूॅकि 2012 में आर.एम.एस. साफ्टवेयर** संचालित था एवं 2015 से सी.सी.बी. साफ्टवेयर संचालित हो रहा था, परन्तु आज दिनॉक में दोनो ही साफ्टवेयर संचालित नही है। उपभोक्ता को सितम्बरर 2016 से मार्च 2018 तक एवं उपभोक्ता पासबुक के साथ जून 2020 से माह जुलाई 2022 तक के विधुत बिल की प्रति संलग्न कर प्रदान की जा रही है। पूर्व में संचालित साफ्टवेयर उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2012 से अगस्त 2016 तक के बिल प्रदान नही किये जा सकते है।

2. आवेदक द्वारा कनेक्शन का प्रयोजन एवं भार परिवर्तन करने हेतु प्राप्त आवेदन चाहा गया है।

अनावेदक के द्वारा जॉच करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता का सर्विस क्रमांक 2444000418 है उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन थ्री फेस 10 किलोवाट का घरेलू संयोजन है उपभोक्ता द्वारा पूर्व में औधोगिक उपयोग हेतु कनेक्शन लिया गया था। परन्तु उपभोक्ता द्वारा कोई विधुत भार परिवर्तन कराने हेतु आवेदन नही दिया गया है।

3. आवेदक द्वारा कनेक्शन का प्रयोजन एवं भार परिवर्तन करने हेतु प्राप्त की गई टेस्ट रिपोर्ट चाहा गया है।

अनावेदक के द्वारा जॉच करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता का सर्विस क्रमांक 2444000418 है उपभोक्ता का विघुत कनेक्शन थ्री फेस 10 किलोवाट का घरेलू संयोजन है उपभोक्ता द्वारा पूर्व में औधोगिक उपयोग हेतु कनेक्शन लिया गया था। परन्तु उपभोक्ता द्वारा कोई विधुत भार परिवर्तन कराने हेतु आवेदन नही दिया गया है।

4. आवेदक द्वारा 01 किलोवाट भार वाले धरेलू उपभोक्ताओ हेतु शासन द्वारा प्रदत्त छूट के आदेश की प्रति एवं कम्पनी द्वारा जारी प्रपत्र।

अनावेदक के द्वारा जॉच करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता का सर्विस क्रमांक 2444000418 है उपभोक्ता का विघुत कनेक्शन थ्री फेस 10 किलोवाट का घरेलू संयोजन है।

(अ) मध्यमप्रदेश विधुत प्रदय संहिता 2013 की कंडिका 3.2 (II) के अनुसार थ्री फेज के मध्य 400 वोल्ट तथा कंडिका 3.4 के अनुसार उपभोक्ताओं को विधुत प्रदाय की वोल्टेज 400 प्रदाय करने करने हेतु न्यूनतम संयोजन भार 2 कि.वा से अधिक होने पर थ्री फेज विधुत प्रदाय हेतु कनेक्शन प्रदाय किये जाते है।

(ब) दिनॉक 16.08.2022 को पुनः परिसर में लगे विधुत मीटर का निरीक्षण करने पर मीटर में 20856 रीडिंग एवं एम.डी. 1.7 दर्ज की गई है।

(स) उपभोक्ता के परिसर में लगे थ्री फेस मीटर का जुलाई 2021, जुलाई 2022 व अगस्त 2022 में रीडिंग और एम.डी.का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाने वाला भार/एम.डी. 01 किलोवाट से अधिक है। जो नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है।

सर्विस क्रमांक	मीटर रीडिंग	एम.डी	माह
2444000418	20856	1.7	16.08.2022
2444000418	20532	2.4	17.07.2022
2444000418	17032	1.6	20.07.2021

2444000418	16812	1.9	
2444000418	16480	2.0	
2444000418	16126	2.5	
2444000418	15800	2.6	

म.प्र.शासन की योजना का आदेश क्रमांक एफ/03.06.2020/तेरह/04 दिनॉक 16/11/2022, विभाग के आदेश क्रमांक 6021/2020/13 दिनॉक 27.08.2020, विभाग का पत्र क्रमांक 3349/2020/13 दिनॉक 02.06.2020, प्र.सं./म.क्षे./वाणि.–एक/73/1737 दिनॉक 17.11.2021 के तहत जो कि **एक किलोवाट** तक संयोजित भार वाले घ**रेलू उपभोक्ताओं** तक के लिये सीमित है।

अतः आवेदक को म.प्र शासन की समाधान योजना का लाभ नियमानुसार नही दिया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश कोली, सहायक यंत्री द्वारा बताया गया कि पूर्व सुनवाई में निर्देशित एक जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि उक्त जानकारी रिकार्ड में ही नहीं है ।

पूर्व सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित कुछ बिलों से वह संतुष्ट नहीं है, अतः श्री महेश कोली, सहायक यंत्री को निर्देशित किया गया था कि आवेदक को कार्यालय में बुलाकर संबंधित बिल जिससे वह संतुष्ट नहीं है, स्पष्ट करें । सुनवाई के दौरान आवेदक ने पुनः शिकायत की कि बिलों में गड़बड़ी अभी भी ठीक नहीं की गई है । अतः सुनवाई के दौरान पुनः आवेदक एवं अनावेदक दोनों को साथ बैठकर बिल समझाने एवं निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया ।

अनावेदक ने सिंगल फेस मीटर लगाने के संबंध में यह बताया कि आवेदक ने आज दिनांक तक सिंगल फेस की सर्विस लाईन नहीं खींची है, इसलिए संभवतः न तो मीटर बदला गया एवं न ही भार परिवर्तित किया गया । आवेदक ने भार घटाकर 1 किलोवाट करने हेतु निवेदन किया था ।

अनावेदक द्वारा इस संबंध में बताया गया कि उनके परिसर का भार 1 किलोवाट से अधिक है । मीटर द्वारा रिकार्ड की गई एम.डी. 2.6 किलोवॉट तक दर्ज हुई है, अतः सिंगल फेज की सर्विस लाईन खींचकर एवं सही भार की टैस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भार सही कर सिंगल फेस मीटर लगा दिया जावेगा, जिस पर आवेदक ने सहमति दी ।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने के अवसर दिए गए । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि के नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

01. आवेदक का 10 एच.पी. की चक्की का कनेक्शन था जिसे घरेलू श्रेणी में परिवर्तित कराने हेतु वर्ष 2012 में आवेदन किया था ।
02. आवेदक का कनेक्शन घरेलू श्रेणी में परिवर्तित कर दिया था किन्तु भार 10 एच.पी. के स्थान पर 10 कि.वा. हो गया जो संभवतः टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत न करने एवं सर्विस लाईन नहीं बदलने के कारण हुआ।
03. प्रकरण में दिनांक 24.09.2013 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था एवं अगस्त 2012 से अगस्त 2013 तक के बिल घरेलू टैरिफ पर पुनरीक्षित कर उपभोक्ता का प्रदान करने हेतु निर्देशित किया था ।
04. जिसके पालन में अनावेदक ने बिल में से अतिरिक्त बिल की गई राशि 13104/– एवं सरचार्ज की राशि 1343/– कुल 14447/– कम कर आवेदक को पत्र क्रमांक 258 दिनांक 08.07.2013 से सूचित किया था ।
05. आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बिलों से यह प्रतीत होता है कि आवेदक बिलों का समय पर भुगतान करने का आदि नहीं है ।
06. आवेदक ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष घरेलू कनेक्शन को 1 कि.वा. मानकर शासन की नीति अनुसार कोरोना काल में विशेष छूट का लाभ पाने हेतु प्रकरण क्रमांक बी.टी. 54/2021 प्रस्तुत किया था जिस पर विद्वान फोरम ने दिनांक

28.02.2022 को आदेश पारित करते हुए योजना हेतु पात्र नहीं होने के कारण अपात्र घोषित किया । क्योंकि आवेदक के परिसर की अधिकतम मांग कई माहों में 1 कि.वा. से अधिक दर्ज हुई है, अतः योजना के लिए पात्र नहीं है ।

07. प्रकरण में अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक ने आज दिनांक तक न तो थ्री–फेस सर्विस लाईन के स्थान पर सिंगल लाईन फेस स्थापित की है न ही वास्तविक भार की टैस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है, अतः भार पूर्ववत् दर्ज है ।

08. अनावेदक ने यह भी बताया कि घरेलू कनेक्शन की बिलिंग भार के आधार पर नहीं होती खपत के आधार पर होती है । अतः भार कम करने पर बिल में कोई अंतर नहीं आवेगा ।

09. आवेदक ने सुनवाई के दौरान कई बिलों में गणना की गड़बड़ी होने का संशय प्रकट किया जिसे अनावेदक को ठीक करने एवं आवेदक को बिल की गणना स्पष्ट करने के संबंध में निर्देशित किया गया ।

10. आवेदक ने कहा कि उसकी सिंगल फेस की लाईन है किन्तु अनावेदक द्वारा जांच करने पर परिसर में थ्रीफेस की लाईन खिंची होना पाया गया, अतः थ्रीफेस लाईन पर सिंगल फेस मीटर लगाया जाना नियमानुसार उचित नहीं है ।

11. आवेदक को निर्देशित किया कि वे तत्काल सिंगल फेस की सर्विस लाईन खींचकर परिसर के वास्तविक भार की टैस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें । इसके उपरांत अनावेदक को सिंगल फेस मीटर लगाकर वास्तविक भार की जांच कर बिल में वास्तविक भार की टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भार प्रदर्शित करने की कार्यवाही करें ।

05. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

i) आवेदक तत्काल सिंगल फेस लाईन स्थापित कर वास्तविक भार की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

ii) नियमानुसार सही पाए जाने पर अनावेदक थ्री फेस की सर्विस लाईन एवं मीटर हटाकर उसके स्थान पर सिंगल फेस मीटर स्थापित कर उससे विद्युत प्रदाय चालू करें ।

iii) चूंकि आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर में अधिकतम मांग 1 कि.वा. से अधिक बार–बार दर्ज हुई है इससे स्थापित होता है कि आवेदक के परिसर का भार एक किलोवाट से अधिक है, अतः वह शासन की योजना के लिए पात्र नहीं है ।

iv) अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा विद्युत बिलों में गड़बड़ी को आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के अंदर सुधार/स्पष्टीकरण आवेदक को प्रदान करे ।

06. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

07. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल